क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	17/5/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित। इस वाद को बिना आवेदन के आधार पर खारिज किया जा चुका है। वाद प्रा० पत्र को आगे चलाने जाने का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली मोखिच सुमार होकर दफ्तर हो।
	24/5/22	
	24/5/22	

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:09:54 IST
Reason: SelfAttested

Jul 26, 2022, 18:43